राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अन्तरण) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 47)

[18 सितम्बर, 1959]

राजस्थान राज्य से मध्य प्रदेश राज्य को कतिपय राज्यक्षेत्रों के अन्तरण और उससे संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : —

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अन्तरण) अधिनियम, 1959 है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "नियत दिन" से अक्तूबर, 1959 का प्रथम दिन अभिप्रेत है ;

(ख) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र", "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" के वे ही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं ;

(ग) "आसीन सदस्य" से संसद् या राज्य के विधान-मण्डल के दोनों सदनों में से किसी के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है ; और

(घ) "अन्तरित राज्यक्षेत्र" से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और धारा 3 द्वारा राजस्थान राज्य से मध्य प्रदेश राज्य को अन्तरित कर दिए गए हैं।

3. राजस्थान से मध्य प्रदेश को राज्यक्षेत्रों का अन्तरण—(1) नियत दिन से मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे राज्यक्षेत्र जोड़ दिए जाएंगे जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो तब राजस्थान राज्य के भाग नहीं रहेंगे।

(2) अन्तरित राज्यक्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में मंदसौर जिले के भानपुरा परगने के अन्तर्गत होंगे और उसके भाग रहेंगे।

(3) उपधारा (2) में की कोई भी बात, नियत दिन के पश्चात् मध्य प्रदेश राज्य में, किसी जिले का नाम, विस्तार या सीमाओं को परिवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

4. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन— नियत दिन से संविधान की प्रथम अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के नीचे, —

(क) "6. मध्य प्रदेश" के सामने की प्रविष्टि में "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) में" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अन्तरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में" शब्द, कोष्ठक और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "11. राजस्थान" के सामने की प्रविष्टि में "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 10 में उल्लिखित हैं ;" शब्दों और अंकों के पश्चात् "किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अन्तरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं, इससे अपवर्जित हैं" शब्द, कोष्ठक और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

5. परिसीमन आदेशों का संशोधन—संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे।

6. आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध—(1) मध्य प्रदेश राज्य में मंदसौर निर्वाचन-क्षेत्र और राजस्थान राज्य में कोटा निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के आसीन सदस्य, इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर उन निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार में परिवर्तन के होते हुए भी लोक सभा के सदस्य बने रहेंगे।

(2) मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधान सभाओं के क्रमश: गरोठ निर्वाचन-क्षेत्र और बेगूं निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्य इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर उन निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार में परिवर्तन के होते हुए भी उक्त सभाओं के सदस्य बने रहेंगे।

7. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नियम दिन से,—

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर होगा ; और

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकारिता उक्त राज्यक्षेत्रों के बारे में नहीं होगी ।

(2) यदि नियत दिन के ठीक पूर्व, अन्तरित राज्यक्षेत्रों से सम्बन्धित कोई कार्यवाही राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित हो, तो उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी कार्यवाही उस उच्च न्यायालय द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसकी बाबत उपधारा (2) के आधार पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है, दिया गया कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए न केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में प्रभावी होगा किन्तु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहियां तब तक लम्बित समझी जाएंगी जब तक उस उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के बीच सभी विवाद्यकों को जिनके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्चों के विनिर्धारण की बाबत विवाद्यक भी हैं, निपटा न दिया हो और इसके अन्तर्गत अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिट के लिए अर्जियां भी होंगी ;

(ख) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उसके न्यायाधीश या खण्ड न्यायालय के प्रति निर्देश भी हैं तथा न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा पारित या दिए गए दण्डादेश, निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश भी हैं ।

8. विद्यमान विनियोग अधिनियमों के अधीन अन्तरित राज्यक्षेत्रों में व्यय के लिए धन का विनियोग—वित्तीय वर्ष 1959-60 के किसी भाग की बाबत किसी व्यय को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से किसी धन के विनियोग के लिए उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा उस दिन के पूर्व पारित कोई अधिनियम अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में भी नियत दिन से प्रभावी होगा और उस राज्य सरकार के लिए यह विधियुक्त होगा कि वह उस राज्य में किन्हीं सेवाओं के लिए व्यय किए जाने के लिए ऐसे अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रकम में से कोई रकम उन राज्यक्षेत्रों के लिए खर्च करे ।

9. आस्तियां और दायित्व—(1) अन्तरित राज्यक्षेत्रों में राजस्थान राज्य के स्वामित्व की सब भूमि और सब सामान, वस्तुएं और अन्य माल नियत दिन से मध्य प्रदेश राज्य को संक्रांत हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "भूमि" पद के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर सम्पत्ति तथा ऐसी सम्पत्ति में या उस पर के किन्हीं अधिकार हैं और "माल" पद के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट तथा करेंसी नोट नहीं आते ।

(2) अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य के संविदा से उद्भूत होने वाले या अन्यथा सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं नियत दिन से, मध्य प्रदेश राज्य के क्रमश: अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी ।

10. राज्य वित्त निगम और राज्य विद्युत् बोर्ड—नियत दिन से, —

(क) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन गठित वित्तीय निगम ; और

(ख) उक्त राज्यों के लिए विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित राज्य विद्युत् बोर्ड,

धारा 3 के उपबन्धों द्वारा परिवर्तित रूप में अपने-अपने क्षेत्र सहित उन राज्यों के लिए गठित किए गए समझे जाएंगे ।

11. विधियों का विस्तार—ऐसी सभी विधियां, जिनका विस्तार नियत दिन के ठीक पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले पर होता है या जो उसमें प्रवृत्त हैं किन्तु अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर जिनका विस्तार नहीं है या जो उनमें प्रवृत्त नहीं हैं, उस दिन से अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर, यथास्थिति, उनका विस्तार होगा या वे उनमें प्रवृत्त होंगी; और वे सभी विधियां, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त हैं किन्तु मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में प्रवृत्त नहीं हैं, उस दिन के पूर्व की गई या करने में लोप की गई किसी बात के बारे में के सिवाय उस दिन से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं रहेंगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "विधि" के अन्तर्गत ऐसी कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत आती है जो सम्पूर्ण मध्य प्रदेश या राजस्थान या उसके किसी भाग में विधि का बल रखती है ।

12. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति—धारा 11 द्वारा अन्तरित राज्यक्षेत्रों पर विस्तारित किसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी अन्तरित राज्यक्षेत्रों के संबंध में उसके लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का अर्थान्वयन, सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से कर सकेगा जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष के विषय के बारे में आवश्यक या उचित हो ।

13. विधिक कार्यवाहियां—जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, इस अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश राज्य को अन्तरित सम्पत्ति, अधिकार या दायित्वों के बारे में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में राजस्थान राज्य पक्षकार हो, वहां वह राज्य उन कार्यवाहियों के पक्षकार

के रूप में, राजस्थान के स्थान पर, यथास्थिति, प्रतिस्थापित किया गया या उनमें पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और वे कार्यवाहियां तद्नुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

14. लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में जो उस दिन राजस्थान राज्य के भीतर आता है, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष नियत दिन के ठीक पूर्व लम्बित प्रत्येक कार्यवाही यदि वह कार्यवाही अन्तरित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग से अनन्यत: संबंधित हो तो मध्य प्रदेश राज्य में तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अन्तरित हो जानी चाहिए तो उसे राजस्थान के उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) इस धारा में, —

(क) "कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील भी आती है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है —

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही, यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती तो रखी जाती, या

(ii) शंका की दशा में, उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जो नियत दिन के पश्चात्) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए ।

15. अन्य विधियों से असंगत उपबन्धों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई (जिसके अन्तर्गत एक विधि से अन्य विधि को धारा 11 के अधीन संक्रमण के संबंध में कोई कठिनाई है) आती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा कोई भी बात कर सकेगा जो ऐसे उपबन्ध से असंगत न हो तथा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

17. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकेगी ।

[1][(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रथम अनुसूची

[धारा 2(घ) और 3 देखिए]

राजस्थान राज्य से मध्य प्रदेश राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्र

चित्तौड़ जिले की भेंसरोड़गढ़ तहसील में विनिर्दिष्ट गांवों के भीतर निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट हैं, अर्थात् : —

गांव का नाम	पन्ना सं०	खसरा सं०	बीघा	बिस्वा
			में क्षेत्र	
1	2	3	4	
दोताडा	11	361	124	10
	12	362	814	-
	13	363	173	3
	13	364	572	16
	14	365	[1][921]	14
	14	366	15	16
	14	367	[2][205]	-
	14	368	202	16
	15	369	364	15
	15	370	239	7
	13	371	14	18
		योग	3,648	15
पिपलदा	5	220	730	-
	5	221	49	-
	6	222	535	-
	6	223	142	12
		योग	1,456	12
बरखेडा	7	118	-	10
	7	119	248	-
	8	120	292	1
	8	121	138	2
		योग	678	13
		कुल योग	5,784 बीघा या 3,085 एकड़	

[1] 1964 के अधिनियम सं० 52 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "926" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1964 के अधिनियम सं० 52 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "200" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 5 देखिए)

भाग 1

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की प्रथम अनुसूची के उपान्तरण

1. भाग "6.—मध्य प्रदेश" में, अन्त के टिप्पण को "टिप्पण I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् : —

"**टिप्पण II**—इस भाग के स्तम्भ 3 में मंदसौर जिले के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो प्रथम अक्तूबर, 1959 को उस जिले के भीतर समाविष्ट हैं।"।

2. भाग "11—राजस्थान" में, अन्त में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् : —

"**टिप्पण**—इस भाग के स्तम्भ 3 में चितौड़ जिले या भेंसरोड़गढ़ तहसील के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्रायत्त होगा जो प्रथम अक्तूबर, 1959 को उस जिले या तहसील के भीतर समाविष्ट है।"।

भाग 2

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की द्वितीय अनुसूची के उपान्तरण

1. भाग "6.—मध्य प्रदेश" में, अन्त के टिप्पण को "टिप्पण I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् : —

"**टिप्पण II**—इस भाग के स्तम्भ 3 में मंदसौर जिले के भानपुर परगने के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो प्रथम अक्तूबर, 1959 को उस परगने के भीतर समाविष्ट है।"।

2. भाग "11—राजस्थान" में, अन्त में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् : —

"**टिप्पण**—इस भाग के स्तम्भ 3 में चित्तौड़ जिले की भेंसरोड़गढ़ तहसील के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो प्रथम अक्तूबर, 1959 को उस तहसील के भीतर समाविष्ट है।"।

भाग 3

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (मध्य प्रदेश) आदेश, 1957 का उपान्तरण

सारणी के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"**टिप्पण**—इस सारणी के स्तम्भ 2 में इंदौर डिवीजन के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो प्रथम अक्तूबर, 1959 को उस डिवीजन के भीतर समाविष्ट है।"।